REVIEW OF RESEARCH

औपनिवेशिक भारत वर्ष की उच्च शिक्षा व्यवस्था का एक चरण : भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904

ऐश्वर्य कीर्ति लक्ष्मी

एम.ए., एम.एड,
शोध छात्रा , पाश्चात्य इतिहास विभाग,
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ.

ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514
VOLUME - 8 | ISSUE - 8 | MAY - 2019

सारांश

लार्ड कर्जन के पहले 1888 में जब लार्ड डफरिन औपनिवेशिक भारत वर्ष के गवर्नर जनरल बन कर आये। उन्होंने यह घोषणा कि, शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को हट जाना चाहिये अर्थात् अंग्रेजी शिक्षा की मांग औपनिवेशिक भारत में इतनी अधिक बढ़ गयी थी कि, उन्होंने पूरे औपनिवेशिक भारत में उच्च शिक्षा व्यवस्था को निजी संस्थानों के हाथों में सौंप दिया।

प्रस्तावना :

जिसके फलस्वरूप शिक्षकों तथा संसाधनों की कमी के कारण उच्च स्तरीय मानकों का स्तर गिर रहा था तथा जब लार्ड कर्जन 1899 में औपनिवेशिक भारत वर्ष के वायसराय बनकर आये तो, उन्होंने उच्च शिक्षा को के उच्चस्तरीय मानकों को उठाने के लिये उच्च शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव किये, सर्वप्रथम उन्होंने 1901 में शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित हुआ। जिसमें उन्होंने औपनिवेशिक भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था में सैद्धांतिक बिन्दुओं पर प्रकाश डाला। जिसमें उन्होंने उच्च शिक्षा व्यवस्था को निजी संस्थाओं के हाथों से हटाकर सरकारी नियंत्रण में कर दिया। जिसके फलस्वरूप औपनिवेशिक भारतीय जनता ने इसका विरोध किया। विरोध होने के बावजूद भी 'इण्डियन लेजिस्लेटिव कॉउसिल' ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को सफलतापूर्वक लागू कर दिया। इस अधिनियम प्रमुख प्रस्ताव मुख्य बिन्दु कलकत्ता, बाम्बे, मद्रास पर रखे गये, जैसे–चुनावों के सिद्धांतों के बदलाव, विश्वविद्यालयों के सिंडीकेटों एवं सिनेटों की संवैधानिक मान्यताओं संबंधी बदलाव संबंधी बिन्दु इत्यादि रखे गये।

भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 :

भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 जैसा कि लार्ड कर्जन ने विधान सभा के समक्ष रखते हुये उसे सैद्धांतिक बिंदुओं पर विवरण दिया। उसके मूल सिद्धांतों में शिक्षा के मानकों के सभी प्रकार के विकास का सिद्धांत उच्च शिक्षा के प्रति निहित था। 'इसके पीछे लार्ड कर्जन का उद्देश्य यह था कि 'अच्छे से अच्छे तरीके से विश्वविद्यालय की शिक्षा पद्धति में वर्तमान कमियों को दूर करते हुये, अच्छे विद्वान अध्यापकों द्वारा अध्यापन की व्यवस्था की जाये तथा महाविद्यालयों का निरीक्षण किया जाये और विश्वविद्यालयों का निरीक्षण किया जाये तथा विश्वविद्यालयों के प्रशासन को सुदृढ़ एवं उत्तम बनाया जाये और विशेषज्ञता उत्पन्न करके उनको उत्साही हांथों में सौंपा जाये।'[1]

भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1904 की नियुक्ति 1902 में की गयी थी। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 की सिफारिशों में कुछ संसोधन करते हुये 'इंपीरियल लेजिस्लेटिव

[1] वकील, के0एस0, नटराज एन0 ''एजूकेशन इन इण्डिया'', एलाइड पब्लिकेशनस, मद्रास, 1966, पृ0–103

कॉउंसिल' द्वारा एक अधिनियम पारित किया गया। जिसको कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 कहा गया और यह 21 मार्च, 1904 को लागू हुआ। **इस अधिनियम में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 की अधिकांश सिफारिशों को स्थान दिया गया था। इसका जोरदार विरोध भारतीय द्वारा किया गया था, (विशेषकर गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा) इस अधिनियम पर हर तरफ से प्रहार के बावजूद इसके 'लेजिस्लेटिव कॉउंसिल** के सदस्यों द्वारा इसको बहुमत से पास कर दिया गया।'[2]

'1904 के अधिनियम के द्वारा तत्कालीन विश्वविद्यालय कलकत्ता, बाम्बे, मद्रास, लाहौर, इलाहाबाद में काफी बड़े बदलाव आये, जिसमें कि मुख्यतः विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों एवं कार्यों में विस्तार और विश्वविद्यालय सीनेट को सीमित किया जाना, चुनाव के सिद्धांतों को निर्धारित किया जाना सिंडीकेट को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया जाना तथा महाविद्यालय के संबंद्धीकरण के भौगोलिक क्षेत्र को निर्धारित किया जाना तथा इन बदलावों को लागू करने के लिये प्रत्येक भारतीय विश्वविद्यालय को अगले 5 साल तक, 5 लाख रूपयों से प्रतिमाह आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया जाना चाहिये और स्थानीय सरकारों को सीनेट के द्वारा बनाये गये नियमों को अनुमोदन एवं सुधार के अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए।'[3]

इस अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय के संगठन और प्रशासन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाये गये और यह परिवर्तन '7' श्रेणियों में रखे गयेः

1. 'विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों में विस्तार किया गया और उनको विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ अध्यापकों एवं व्याख्याताओं की नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान की गयी और शोध कार्य की सुविधा भी प्रदान की गयी।
2. सबसे महत्वपूर्ण सुधार इस अधिनियम के द्वारा किया गया, कि जिसके द्वारा विश्वविद्यालय सीनेट की संख्या सीमित की गयी तथा 1857 की व्यवस्था जिसमें कि यह कहा गया कि 'विश्वविद्यालय के फेलोज जीवन पर्यन्त के लिये सरकार द्वारा नियुक्ति किये जायेगें। लेकिन 50 वर्षों में सीनेट का आकार इस अधिकार के नियमानुसार उपयोग न किये जाने से अत्यंत बड़ा हो गया है, इस नियम के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि विश्वविद्यालय के फेलोज की संख्या 100 से ज्यादा और 50 से कम न हो और उनका कार्यकाल जीवनपर्यन्त से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया।'[4]
3. अधिनियम के अन्तर्गत जो तीसरा, बदलाव लाया गया, वह चुनाव प्रक्रिया के द्वारा फेलोज को चुना जाना या चुने हुये फेलोज की संख्या 20 निर्धारित की गयी, बाम्बे, मद्रास, कलकत्ता के लिये भी 20 फेलोज की संख्या निर्धारित की गयी और बाकी लाहौर, इलाहाबाद के लये 15 निर्धारित की गयी।
4. जो बदलाव अधिनियम के द्वारा जो लाया गया वह था, कि विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों की संबद्धता के नियम स्वतंत्र किये जाये और समय–समय पर विश्वविद्यालय सिंडीकेट द्वारा संबंद्ध महाविद्यालयों का निरीक्षण किया जाये, जिसका कि आशय मानकों और क्षमताओं को बनाये रखना था।
5. सिंडीकेट के द्वारा नियम बनाये जाने की शक्ति सरकार में निहित थी अर्थात् सीनेट उन्हीं शक्तियों को प्रयोग कर सकती थी, जिनको राज्य सरकार के द्वारा अनुमोदन किया गया है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में यह व्यवस्था दी गयी थी कि, जब सिनेट द्वारा बनाये गये नियमों का अनुमोदन सरकार द्वारा किया जा रहा हो, उस स्थिति में सरकार को यह अधिकार प्राप्त होगा, यदि आवश्यक हुआ, तो सरकार उन नियमों में कुछ संशोधन जोड़ या घटा सकती हैं या नियम खुद बना सकती है। अगर सिनेट नियमों के निर्धारित समय में बनाने में असफल रहती है।
6. अन्ततः, इस अधिनियम के द्वारा 'गवर्नर जनरल इन कॉउंसिल' को विश्वविद्यालय की भौगोलिक सीमायें निर्धारित करने के लिये अधिकृत किया गया था, कयोंकि 1857 में यह प्रश्न सामने आया था।
7. अतः, इस मामले में शांति बनायी रखी गयी थी, जो कि उस समय की अपरिहार्य परिस्थितियों की वजह से एक अनियमित क्रियाकलाप था। 1904 के अधिनियम के प्रावधान–27 में 'गवर्नर जनरल इन कॉउंसिल' को इस व्यवस्था को नियमित करने की शक्तियाँ प्रदान की गयी और विश्वविद्यालय के भौगोलिक कार्य क्षेत्र निर्धारित करने हेतु कार्यवाही के लिये इस अधिनियम द्वारा शक्तियाँ प्रदान की गयी।'[5] निम्नलिखित श्रेणियों

[2] रावत, पी0एल0, ''हिस्ट्री ऑफ इण्डियन एजूकेशन'', राम प्रसाद एण्ड संस, आगरा, 1965ए पृ0–285
[3] घोष, एस0सी0 ''दि हिस्ट्री ऑफ एजूकेशन इन मॉडर्न इण्डिया 1757–1986'', ओरियंट लौंगमैन, नई दिल्ली, 1995, पृ0–118
[4] रावत, तदैव, पृ0–285
[5] रावत, वही, पृ0–286

से यह स्पष्ट होता है कि 1904 के अधिनियम के द्वारा औपनिवेशिक भारतीय उच्च शिक्षा को बदलकर रख दिया था।

भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के प्रति भारतीयों का विचारः–

'भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 का 'इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कॉउंसिल' में बहुत जबरदस्त विरोध किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले, जो 'इण्डियन लेजिस्लेटिव कॉउंसिल' के एक प्रखर एवं बुद्धिमान सदस्य थे। उन्होंने अपने ऐतिहासिक भाषणों के द्वारा इस अधिनियम के विरोध में भारतीय विचार एवं भावनायें व्यक्त की। लेकिन शैक्षिक सुधारों पर लार्ड कर्जन के द्वारा बहुत अधिक सरकारी नियंत्रण ने भारतीय जनता में शिक्षा के संबंध में उनके हृदय में अविश्वास और संदेह कुंछ कारणों से उत्पन्न कर दिया था, जैसे–शिमला सममेलन में एक भी भारतीय प्रतिनिधि का न होना।'[6]

गोपाल कृष्ण गोखले के अनुसार इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि, ''विश्वविद्यालयों को शिक्षा संकाय के रूप में बदल दिया जाये, यह सर्वस्वीकृत भी है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि यह प्रावधान का क्रियावन्यन एक लम्बे समय तक हो सकेगा। मेरी दृष्टि में सिनेटरस के गठन में सबसे बड़ा विरोधाभास है और इनका विरोध करता हूँ, इसके पीछे पाँच आधार हैः–

1. वो पुरानी सिनेट्स को पूर्ण रूप से साफ कर देना चाहते हैं।
2. सीनेट्स का प्रसार बहुत छोटा रखा गया है और संस्था निश्चित है।
3. चुनाव का अनुपात बहुत कम है। सरकार के द्वारा नामांकित सदस्यों की संख्या बहुत अधिक है।
4. अधिनियम में कहीं यह प्रावधान नहीं है कि अध्यापन के क्षेत्र में चुनाव की व्यवस्था द्वारा गठन हो।
5. सदस्यों के काल की समयावधि 5 वर्ष का निर्धारण किया गया है, वो सही नहीं है तथा सरकार के पक्ष में अधिक है।''[7]

भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में चुनाव सिद्धांत का स्वागत किया गया, लेकिन चुनाव के पद समुचित संख्या में नहीं थे। भारतीयों ने इस कार्य से अंग्रेजों की नीति को समझा कि इस तरीके से फेलोज की संख्या सीमित की जा रही है और यह भय उत्पन्न हो गया, कि इस विधि से सरकार सिनेट यूरोपवासियों का बहुमत बनाना चाहती है। संबद्धता की शर्तों की जाने वाली शक्ति का बहुत मजबूती से विरोध किया गया।[8]
गोखले ने मुख्य बदलाव, जो अधिनियम में रखे गये, सेलेक्ट कमेटी के द्वारा, उनके विषय में कहते हुये कहा कि, ''10 फेलोज का चुनाव अध्यापकों द्वारा अनुमोदन के स्थान पर, अनिवार्य कर लिया गया तथा ऐसे स्नातको को चुनाव की शक्ति दी गयी है, जो 10 साल की स्थिरता रखते है तथा कुलपति द्वारा 50 फेलोज जो नामित किये जायेंगे वह शिक्षा व्यवसाय से ही होंगे।''[9]

अधिनियम में फैकेल्टीज के द्वारा 10 सदस्यों के चुनाव का प्रावधान है, गोखले के अनुसार, ''मैं चाहूँगा कि यह चुनाव विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के द्वारा हो, क्योंकि संकाय एक छोटा संगठन है। जो कि सरकार द्वारा नामित है। इस तरह के सदस्य संकाय में प्रयत्न करेंगे कि वह सरकार द्वारा सदस्यों के लिये नामित हो जाये। जबकि विभिन्न संबंधित महाविद्यालय के वरिष्ठ अध्यापकों और व्याख्याताओं का विश्वविद्यालय के कार्यों में व्यापक हित निहित है। इसलिये वे सीधे प्रतिनिधत्व के अधिकारी है। यह सत्य है कि आधे से ज्यादा सरकार द्वारा नामांकन वरिष्ठ अध्यापकों और व्याख्याताओं में से किया जायेगा।''[10]

आशुतोष मुखर्जी (कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलपति) ने भी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में भी सामान्य फेलोज के चुनाव के विषय में कहा कि, ''अधिनियम के प्रावधान–4 जिसको कि 'सेलेक्टर कामेटी' द्वारा संशोधित किया गया है, यह प्रावधान करता है कि, विश्वविद्यालय के सामान्य फेलोज का चुनाव विश्वविद्यालय के पंजीकृत स्नातक या सीनेट द्वारा किया जायेगा, और कुछ का चुनाव फैकेल्टीज द्वारा किया जायेगा, बाकी बचे हुये कुलपति द्वारा नामित किया जायेगा। प्रावधान–6 जैसाकि संशोधित है कि वह

[6] रावत, वही, पृ0–287
[7] दि इण्डियन यूनीवर्सिटी बिल, 1904, पृ0–60, सेक्रेटेरियट (सचिवालय) पुस्तकालय, नई दिल्ली
[8] रावत, तदैव, पृ0–287
[9] दि इण्डियन यूनीवर्सिटी बिल, 1904, पृ0–60, सेक्रेटेरियट (सचिवालय) पुस्तकालय, नई दिल्ली
[10] दि इण्डियन यूनीवर्सिटी बिल, 1904, तदैव, पृ0–60, सेक्रेटेरियट (सचिवालय) पुस्तकालय, नई दिल्ली

कलकत्ता, बंबई, मद्रास विश्वविद्यालयों में पंजीकृत स्नातकों के द्वारा चुने गये सदस्यों को जिनकी 10 की सीमा निर्धारित की गयी है और फैकेल्टीज द्वारा भी 10 ही निर्धारित की गयी है। यह अधिनियम कॉउंसिल के समक्ष सुधार का परिचायक है। जिसके द्वारा फैकेल्टीज के द्वारा चुनाव पूर्णतः कुलपति के निर्णय के अधीन कर दिया गया है।"[11]

भारतीयों ने यह अनुभव किया कि 'सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत संस्थानों को कुचल देना चाहती है। लेकिन सबसे ज्यादा विरोध सरकार की इस नीति के द्वारा हुआ। जिसमें यह नियम बनाया गया कि सीनेट के द्वारा निर्धारित नियमों में सरकार दखल दे सकती है। इस तरह से सरकार विश्वविद्यालय के अंदरूनी मामलों में अपना वर्चस्व कायम रखने की नीति पर चल रही है। अंदरूनी भय यह था कि सरकार की इच्छा उच्च शिक्षा की प्रगति पर अधिकतम अपना नियंत्रण कायम रखे। सत्यता में यह विरोध शिक्षा के क्षेत्र में एक लम्बे समय तक कायम रहा।'[12] इसलिये यह साफ है कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 अधिनियम अपनी सभी विशेषताओं को और गुणों के साथ भारतीय उच्च शिक्षा में प्रशंसात्मक सुधार लाये, विश्वविद्यालय पर प्रशासन और सक्षमता काफी बढ़ गयी।

उपसंहार

लार्ड कर्जन द्वारा लाया गया, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 औपनिवेशिक भारत में भारतीय विश्वविद्यालयों पर अधिक से अधिक सरकारी नियंत्रण रखा जाये और पुर्नगठन कर उच्च शिक्षा को सुनियोजित व स्थित किया जाये।

परन्तु अधिक सरकारी नियंत्रण से औपनिवेशिक भारतीय जनता के अन्दर संदेह की भावना उत्पन्न हो गयी। जैसे शिमला सम्मेलन में किसी भी भारतीय प्रतिनिधित्व को नहीं बुलाया गया।

विश्वविद्यालय जैसे–कलकत्ता, बाम्बे, मद्रास, लाहौर, इलाहाबाद में काफी बड़े बदलाव आये, जिसमें मुख्यतः विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों एवं कार्यों में विस्तार और विश्वविद्यालय सीनेट को सीमित किया जाना, चुनाव के सिद्धान्तों को निर्धारित किया जाना। सिंडीकेट को संवैधानिक मान्यता किया जाना तथा महाविद्यालय के सम्बद्धीकरण के भौगोलिक क्षेत्र को निर्धारित किया जाना तथा इन बदलावों को लागू के लिये औपनिवेशिक विश्वविद्यालय को अगले 5 साल तक, 5 लाख रूपये से प्रतिमाह आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया जाना चाहिये और स्थानीय सरकारों को सीनेट के द्वारा बनाये गये नियमों को अनुमोदन एवं सुधार के अधिकार भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 द्वारा प्रदान किया गया।

गोपाल कृष्णा गोखले ने अनुसार इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से निम्नलिखित रूप से पांच सबसे बड़े विरोधाभास है जिनमें सुधार किया जाना चाहिये।

1. वह पुरानी सीनेट पूर्णतया समाप्त करना चाहते है।
2. सीनेटस का प्रसार बहुत छोटा है और संस्था निश्चित है।
3. चुनाव का अनुपात बहुत कम है। सरकार द्वारा नामांकित सदस्यों की संख्या अधिक है।
4. अधिनियम में यह कहीं पर प्रावधान नहीं दिया गया है कि अध्यापन के क्षेत्र में चुनाव की व्यवस्था द्वारा गठन हो।
5. सदस्यों के काल की समयावधि 5 वर्ष का निर्धारण किया है, वह अनुचित है तथा सरकार के अधिक पक्ष में है।

भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के प्रस्ताव को औपनिवेशिक भारत वर्ष में किस प्रकार लागू किया जाये कि 1857 में शिक्षा को सैद्धांतिक रूप से लागू किया गया तथा 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग में शिक्षा व्यवस्था में निरंतर उन सिद्धान्तों को परिष्कृत करने का प्रमाण हुआ। अब आगे और विकास के लिये तथा देश शिक्षा की आवश्यकताओं की बढ़ती मांग को भारत सरकार और राज्य सरकारों के आपसी सामंजस्य एवं कोशिश से पूर्ण किया जाये, तथा इस व्यवस्था से सरकारी नौकरियों के लिये बुद्धिजीवी सेवक प्राप्त होंगे तथा

[11] दि इण्डियन यूनीवर्सिटी बिल, 1904, वही पृ0–60, सेक्रेटेरियट (सचिवालय) पुस्तकालय, नई दिल्ली
[12] रावत, तदैव, पृ0–288

यह अधिनियम व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने के लिये प्रत्येक शाखा में अच्छी व्यवस्था एवं प्रशिक्षण से प्राप्त लोगों को व्यवस्थित करने का कार्य करेगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

घोष, एस0सी0 ''दि हिस्ट्री ऑफ एजूकेशन इन मॉडर्न इण्डिया 1757–1986'', ओरियंट लौंगमैन, नई दिल्ली, 1995

घोष, एस0सी0, ''ब्रीथ ऑफ न्यू इण्डिया'', ओरिजनल्स, नई दिल्ली, 2001

दि इण्डियन यूनीवर्सिटी बिल, 1904, सेक्रेटेरियट (सचिवालय) पुस्तकालय, नई दिल्ली।

दीक्षित, एस0एस0, ''नेशनलिज्म एण्ड एजूकेशन'', स्टर्लिंग पब्लिकेशनस, नई दिल्ली, 1966

वकील, के0एस0, नटराज, एन0, ''एजूकेशन इन इण्डिया'', एलाइड पब्लिकेशनस, मद्रास, 1966

शर्मा, डॉ0 एस0एस0, ''अंग्रेजी शिक्षा का इतिहास एवं समस्यायें'', अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2005

रावत, पी0एल0, ''हिस्ट्री ऑफ इण्डियन एजूकेशन'', राम प्रसाद एण्ड संस, आगरा, 1965

LBP PUBLICATION